



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 2 फरवरी, 2021

माघ 13, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2

संख्या 01/2021/सीपी 41/84-2-2021-सीपी14-88टीसी

लखनऊ, 2 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-32

उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) की धारा 42 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 12/2016/सीपी 228/84-2-2016-सीपी14-88 टीसी, दिनांक 5 मई, 2016 के क्रम में राज्यपाल, श्री अशोक कुमार, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तात्कालिक प्रभाव से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का अध्यक्ष नियुक्त करती हैं। राज्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि अथवा पैसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होगी।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/2021/CP41/LXXXIV-2-2021-CP14-88 TC, dated February, 2, 2021:

No. 01/2021/CP41/LXXXIV-2-2021-CP14-88 TC

Dated Lucknow, February 2, 2021

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (3) of section 42 of the Consumer Protection Act, 2019 (Act no. 35 of 2019) read with rule 6 of the Consumer Protection (Qualification for Appointment, Method of Recruitment, Procedure of Appointment, Term of Office, Resignation and Removal of the President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020 and in continuation of Government notification no. 12/2016/CP228/LXXXIV-2-2016-CP14-88TC dated May 5, 2016, the Governor is pleased to appoint Mr. Ashok Kumar, retired judge of the High Court of Judicature at Allahabad as the President of the State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttar Pradesh, Lucknow with immediate effect. The President of the State Commission shall hold office for a term of four years or up to the age of sixty-five years, whichever is earlier.

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.